


समर्पय जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/ CHAITRA 1, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 326(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक के लिए और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

हिमाचल प्रदेश

राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ज्यूटी पद	52
पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश (पुलिस बल के अध्यक्ष)	1
अपर पुलिस महानिदेशक - एसवी एवं एसीबी	1
अपर पुलिस महानिदेशक - (सीआईडी)	1
अपर पुलिस महानिदेशक - कानून एवं व्यवस्था	1
अपर पुलिस महानिदेशक - सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक - (अपराध)	1
पुलिस महानिरीक्षक - एसवी एवं एसीबी	1
पुलिस महानिरीक्षक - कानून एवं व्यवस्था	1
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना	1
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस महानिरीक्षक - पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण एवं संसाधन	1
पुलिस महानिरीक्षक - कल्याण एवं प्रशासन	1
पुलिस महानिरीक्षक - रेंज	3
पुलिस महानिरीक्षक - सी एवं टीएस लॉजिस्टिक्स	1
प्रधान - पीटीसी (दारोह)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, (आसूचना एवं सुरक्षा)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, एसवी एवं एसीबी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, टीटी एवं आर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, एनसीबी (सीआईडी)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, साईबर अपराध (सीआईडी)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, (ईओडब्ल्यू)	1
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (अपराध शाखा)	1
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा)	1
पुलिस अधीक्षक, सीवी एवं एसीबी जोन	3
पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	1
पुलिस अधीक्षक, शिमला	1
पुलिस अधीक्षक, सिरमौर	1
पुलिस अधीक्षक, सोलन	1

	पुलिस अधीक्षक, चंबा	1
	पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा	1
	पुलिस अधीक्षक, ऊना	1
	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर	1
	पुलिस अधीक्षक, मंडी	1
	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू	1
	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर	1
	पुलिस अधीक्षक, लाहौल एवं स्फीति	1
	कमांडेंट बटालियन, जंगा	1
	कमांडेंट बटालियन, धर्मशाला	1
	कमांडेंट बटालियन, पानदोह	1
	कमांडेंट बटालियन, ऊना	1
	कमांडेंट, चौथा आईआर बटालियन, जंगल बेरी, हमीरपुर	1
	कमांडेंट, पांचवा आईआर बटालियन, महिला बटालियन, बस्सी, बिलासपुर	1
	कमांडेंट, छठा आईआर बटालियन, कोलार जिला सिरमौर	1
	पुलिस अधीक्षक, जिला बड्डी	1
	पुलिस अधीक्षक, (साइबर अपराध) सीआईडी	1
	पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था पीएचक्यू	1
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	52
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	20
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	13
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	01
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	08
6.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	66
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	94"

[फा. सं. 11052/09/2015-अ.भा.से.-II(क)]

कविता पद्मनाभन, उप सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 89 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.सं.नि.का.	तारीख
1	455(अ)	22.08.75
2	607(अ)	12.09.77

3	344(अ)	20.04.83
4	158	18.02.84
5	891	19.11.88
6	537	21.09.91
7	243	28.05.94
8	320(अ)	31.03.95
9	740(अ)	31.12.97
10	96(अ)	27.02.98
11	47	12.01.01
12	89(अ)	16.02.07
13	192(अ)	24.03.09
14	511(अ)	16.06.10

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

NOTIFICATION

New Delhi 18th March, 2016

G.S.R. 326(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Himachal Pradesh**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the schedule, for the heading "**Himachal Pradesh**" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

"HIMACHAL PRADESH

Senior Duty Posts under the State Government	52
Director General of Police, Himachal Pradesh (Head of Police Force)	1
Additional Director General of Police SV & ACB	1
Additional Director General of Police, (CID)	1
Additional Director General of Police, Law & Order	1
Additional Director General of Police, Armed Police & Training	1
Inspector General of Police (Crime)	1
Inspector General of Police, SV & ACB	1
Inspector General of Police, Law & Order	1
Inspector General of Police, Intelligence	1
Inspector General of Police, Armed Police	1

	Inspector General of Police, Police Academy, Training and Research	1
	Inspector General of Police, Welfare & Administration	1
	Inspector General of Police, Ranges	3
	Inspector General of Police, C & TS Logistics	1
	Principal - PTC (Daroh)	1
	Deputy Inspector General of Police (Crime)	1
	Deputy Inspector General of Police (Intelligence & Security)	1
	Deputy Inspector General of Police, SV & ACB	1
	Deputy Inspector General of Police, TT & R	1
	Deputy Inspector General of Police, NCB (CID)	1
	Deputy Inspector General of Police, Cyber Crime (CID)	1
	Deputy Inspector General of Police (EOW)	1
	Asstt. Inspector General of Police, HQ	1
	Superintendent of Police, CID (Crime Branch)	1
	Superintendent of Police, CID (Special Branch)	1
	Superintendent of Police, SV & ACB Zones	3
	Superintendent of Police, Kinnaur	1
	Superintendent of Police, Shimla	1
	Superintendent of Police, Sirmour	1
	Superintendent of Police, Solan	1
	Superintendent of Police, Chamba	1
	Superintendent of Police, Kangra	1
	Superintendent of Police, Una	1
	Superintendent of Police, Hamirpur	1
	Superintendent of Police, Mandi	1
	Superintendent of Police, Kullu	1
	Superintendent of Police, Bilaspur	1
	Superintendent of Police, Lahaul & Spiti	1
	Commandant, Bn. Junga	1
	Commandant, Bn. Dharamsala	1
	Commandant, Bn. Pandoh	1
	Commandant, Bn. Una	1
	Commandant, 4 th IR Bn., Jungle Beri, Hamirpur	1
	Commandant, 5 th IR Bn., Mahila Bn. Bassi, Bilaspur	1
	Commandant, 6 th IR Bn., Kolar Distt. Sirmour	1
	Superintendent of Police, District Baddi	1
	Superintendent of Police, (Cyber Crime) CID	1
	Superintendent of Police, Law & Order PHQ	1
1	Total Senior Duty Posts	52
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	20
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	13
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	08
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	28
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	66
	Total Authorized Strength	94"

[F. No. 11052/09/2015-AIS-II (A)]

KAVITHA PADMANABHAN, Dy. Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Himachal Pradesh Cadre was 89.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Himachal Pradesh Cadre by the following GSR Nos. and dates:—

Sl. No.	GSR Nos.	DATE
1	455(E)	22.08.75
2	607(E)	12.09.77
3	344(E)	20.04.83
4	158	18.02.84
5	891	19.11.88
6	537	21.09.91
7	243	28.05.94
8	320(E)	31.03.95
9	740(E)	31.12.97
10	96(E)	27.02.98
11	47	12.01.01
12	89(E)	16.02.07
13	192(E)	24.03.09
14	511(E)	16.06.10